

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग

क्रमांक प.9(2)(13)का/क-3/शिका./1999

जयपुर, दिनांक: 07.11.17

आदेश

श्री नीरज के.पवन, आई.ए.एस. को इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 2(1)(27)का/क-3/शि./16 दिनांक 02.06.16 के द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के नियम 3 उप नियम (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30.05.16 से निलम्बित किया गया था। श्री नीरज के. पवन, को निलम्बन से एतद्वारा तत्काल प्रभाव से सेवा में बहाल किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(विवेक कुमार)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेशान मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग।
7. श्री नीरज के.पवन, आईएएस (निल.) द्वारा संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।
9. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, कार्मिक (क-1) विभाग



शासन संयुक्त सचिव